विद्युत उपभोक्ता हितोपयोगी सार्वजनिक सूचना

समस्त विद्युत उपभोक्ता अवगत हैं कि उनके रीडिंग आधारित विद्युत बीजकों में अधिकतम वास्तविक विद्युत भार अथवा स्वीकृत विद्युत भार का 75 प्रतिशत भार में जो अधिक हो, के सापेक्ष फिक्सड डिमाण्ड चार्जेज देय है ।

संज्ञान में आया है कि कतिपय प्रकरणों में बिलों में अधिकतम वास्तविक विद्युत भार का अंकन नहीं किया जा रहा है । अतः समस्त विद्युत उपभोक्ताओं के उपयोगार्थ सूचित किया जाता है कि आपके परिसर पर स्थापित मीटर में एक ''पुश बटन'' दिया गया है । इस पुश बटन के माध्यम से उपभोक्ता अपने परिसर की विगत माहों के अधिकतम वास्तविक विद्युत भार की सूचना प्राप्त कर सकता है । तदोपरान्त विगत माहों के अधिकतम वास्तविक विद्युत भार सम्बन्धी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने पर उपभोक्ता मा0 उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित डिमाण्ड चार्ज सम्बन्धी प्राविधान के अन्तर्गत अपने आगामी बीजकों में तद्नुसार समायोजन प्राप्त किये जाने का पात्र होगा।

''प्रदेश हित में बिजली बचायें ।''

मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।